न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 69/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

जसमाईलसिंह ...**वादीगण** बनाम हरपालसिंह व अन्य ..**प्रतिवादीगण**

दिनांक 16 अगस्त, 2018

– संशोधित आदेश –

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 10 अगस्त, 2018 अन्तर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली गयी. आवेदनपत्र के अनुसार विचाराधीन वादपत्र में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जून, 2018 पारित की गयी है. निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 आदेश की पंक्ति 4 में 32 के बाद एवं डिक्री में मुरब्बा नम्बर 32 के बाद की कुल 4.363 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से लिपिकीय भूल से टंकित हो गये हैं. इन शब्दों को निर्णय एवं डिक्री में से विलोपित किया जाना आवश्यक है. उक्त त्रुटि केवल मात्र लिपिकीय भूलवश हुई है. इस प्रकार आवश्यक संशोधन हेतु निवेदन किया गया.

पत्रावली के अनुसार उक्त शीर्षक के वादपत्र में पारित निर्णय दिनांक 29 जून, 2018 के अनुसार पृष्ठ संख्या 3 की पंक्ति संख्या 4 में टंकित शब्द *की कुल 4.363 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से* लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हुआ है जिसे धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिताके प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है.

अतः वादपत्र संख्या 69/2018 शीर्षक जस्मायलसिंह बनाम हरपालसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29 जून, 2018 के पृष्ठ संख्या 3 के आदेश की 4थी पंक्ति में अंकित की कुल 4.363 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से को विलोपित किया जाता है. यथा संशोधित डिक्री जारी हो.

संशोधित आदेश आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संशोधित डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

जसमाईलसिंह आत्मज श्री हरपालसिंह, जटसिख, चक 5 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...वादीगण

बनाम

1. हरपालसिंह आत्मज श्री किशनसिंह, जटसिख, चक 5 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. सुश्री स्माईलदीपकौर आत्मजा श्री हरपालसिंह, जटसिख, चक 5 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं
4. शाखा प्रबनक, केनरा बैंक शाखा–श्रीगंगानगर

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 69/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–3) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री जस्माईलसिंह को – चक 5 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53 मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल रास्ता का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग करने के परिणामतः परित्याग विलेख पर प्रभावी स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की अदायगी एवं प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणमुक्त होने पर ही डिक्री की कियान्विती होगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 अगस्त, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**